


15/7/19

पत्रावली वादी के वकील श्री हिममत
दानेरा के पत्र पर तलब की गई।
वादी के वकील ने पत्र पेश कर
निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी गणों
के बीच आपसी समझौदा से राजीनामा हो
जाया है इसलिए उक्त वाद का आगे
चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वाद
विद्रो किये जाने का आदेश प्रदान करावे।
हमने वादी वकील के पत्र व
पत्रावली का अवलोकन व मनन किया। वादी
के वकील द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र के वाद
विद्रो किये जाने से वाद विद्रो खारिज
किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/7/19 का सरे इजलास
सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)